बिहार – सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

सारण प्रमंडल, छपरा

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 147/09–10

(1) परिचात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला कोषागार कार्यालय, छपरा

(ख) लेखा प्रभारी पदाधिकारियों एवं

कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं अवधि – 1. श्री सर्वजीत सफलता, जिला कोषागार पदाधिकारी दि0 1.4.03 से 16.09.03 तक

2. श्री रवीन्द्र प्र0 सिंह,जिला कोषागार पदाधिकारी दि0 17.09.03 से 20.10.03 तक

3. श्री विजय कुमार सिंह,जिला कोषागार पदाधिकारी दि0 21.10.03 से 31.3.07 तक

4. श्री अशोक कुमार गुप्ता, लेखापाल

दिनांक 1.4.03 से 31.8.03 तक

5. श्री बैधनाथ प्रसाद गुप्ता, लेखापाल

दिनांक 1.9.03 से 31.3.07 तक

6. श्री शहिल अख्तर,रोकड़ पाल

दिनांक 1.4.03 से दिनांक 31.3.07 तक

(ग) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले

पदाधिकारियों का नाम पदनाम – 1. श्री गोपी चन्द्र सिंह,कोषागार पदाधिकारी

2. श्री बैधनाथ प्रसाद गुप्ता, लेखापाल

3. श्री अरूण कुमार गुप्ता, लेखापाल

4. श्री शहिल अख्तर ,रोकड़ पाल

(घ) अंकेक्षणा अवधि – वर्ष 03–04 से 06–07 तक

(ड़) अंकेक्षको का नाम – 1. श्री सुदीश प्रसाद साहा, वरीय अंकेक्षण–2

2. श्री संजय कुमार ,साहा वरीय अंकेक्षण–2

(च) अंकेक्षण प्रा0 तिथि – 26.8.08

(छ) अंकेक्षण समापन तिथि – 9.6.2009

(ज) व्यतीत कार्य दिवस – 40 दिन

(झ) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत

अभिलेखों की सूची – इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(ट) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 निहित निदेशानुसार प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर इस कार्यालय का अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया। जिला कोषागार कार्यालय, छपरा द्वारा लेखा का संधारण कार्यालय स्थापना, स्टाम्प भंडार लेखा, पेंशन शीर्ष 2071 का भुगतान की अभिलेख में निर्धारण पाया गया और सभी शीर्षो के विपत्रों के जाँच के पश्चात कोषागार अभिलेख के द्वारा पास करने के पश्चात बैंक में भुगतान किया जाता है।

कार्यालय स्थापना से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण इस कार्यालय द्वारा आवंटन एवं व्यय के आधार पर संधारण पाया गया। इस कोषागार कार्यालय का वर्ष 03–04 से 06–07 तक में जमा एवं निकासी राशियों का इस कार्यालय के शीर्ष 2054 एवं जमा शीर्ष 0074 एवं ग्रुपबीमा, (8011), पेशन (2071) एवं भविष्य निधि अग्रिम 8005 से निकासी किया पाया गया। लेखा वर्ष 03–04 में 06–07 की अवधि में कोषागार से निकासी राशि का सत्यापन जिला कोषागार,छपरा के जमा एवं भुगतान अनुसुची के साथ शत– प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

(ठ) वित्तीय समीक्षा :–

इस कार्यालय के वर्ष 03–04 में 06–07 के आंवटन एवं व्यय विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर द्रष्टव्य हैं। कार्यालय स्थापना में सम्बन्धित प्राप्त आंवटन को इस कार्यालय से निकासी कर बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ पाया गया। प्राप्त आंवटन की शेष राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्यार्पण इस कार्यालय के पत्रांक 460 दिनांक 20.3.04

,465 दिनांक 25.3.05 ,475 दिनांक 30.3.06 एवं 260 दिनांक 9.3.07 के द्वारा किया गया है।

(ड़) भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 29.1.76 में निहित निदेशानुसार अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि यानी दिनांक 26.8.08 को संवरण शेष का भौतिक सत्यापन जिला कोषगार पदाधिकारी ,छपरा द्वारा नही किया गया दि0 31.3.07 को रू0 86,000=00 शेष पाया गया। उक्त शेष राशि चेक के रूप में दिनांक 31.3.86 को निर्गत चेक सं0 92840 दिनांक 31.3.86 को पत्र सं0 को0 ले0 व0 –49/85–936 को0 ले0 के नवसृजित अनुमंडल कोषागार के लिए प्राप्त हुआ था। इसको वापस करने हेतु विभिन्न तिथियों को पत्राचार किया पाया गया उक्त पत्राचार के क्रमांक में पत्रांक 285 दिनांक 6.4.89 से लगातार पत्रांक 510 दिनांक 21.5.09 तक लिखा पाया गया जिसका कोई उत्तर प्राप्त नही पाया गया।

(ढ़) स्वीकृत एवं कार्यरत बल :–

जिला कोषागार,छपरा का स्वीकृत एवं कार्यरत बल, बिहार–सरकार,वित्त विभाग कोषागार प्रशाखा बिहार,पटना के ज्ञापंक 7063 वित्त–2 दिनांक 28.9.2000 के अनुसार स्वीकृत एवं कार्यरत बल निम्नवत पाया गया।

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1	पदाधिकारी	3	3	–
2	सहायक	24	3	21
3	डाटा इंट्री ऑपरेटर	4	2	2
4	आदेशपाल	3	1	2

(2) रूपये 23,600=00 का टेलीफोन पर भुगतान आपत्ती अन्तर्गत :–

अंकेक्षण कम में वर्ष 03–04 में 06–07 तक के लेखा जाँच में पाया गया कि जिला कोषागार,छपरा द्वारा भारत संचार निगम के कतिपय विपत्रों का भुगतान रू0 23,600=00 का किया गया था। विपत्रों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर द्रष्ट्रव्य है।

उपरोक्त राशि के भुगतान के जाँच हेतु कॉल रजिस्ट्रर का माँग किया गया। जाँच में पाया गया कि कॉल रजिस्ट्रर का संधारण ही नही किया गया था। उपर्युक्त विपत्रों के भुगतान में मात्र अभिश्रव ही प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में व्यय के औचित्यता की जाँच हेतु कॉल राजिस्ट्रर तथा कॉल की आवश्यकता सम्बन्धी आवश्यक आदेश की माँग हेतु आपत्ति निर्गत किया गया था। परन्तु ये अभिलेख कार्यालय में संधारित नही पाया गया ।

इस परिस्थिति में टेलीफोन में बातचीत सरकारी कार्य हेतु किया गया या निजी कार्य हेतु किया गया था । अंकेक्षण में स्पष्ट नही हो सका।

अतः विभागीय उच्च पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि काल रजिस्ट्रर एवं सम्बन्धित कॉल की आवश्यकता सम्बन्धी आदेश के बिना टेलीफोन पर की गई बातचीत पर कुल व्यय रू0 23,600=00 को अपने स्तर पर जाँच कर ली जाय तथा अनियमिता पाये जाने पर संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाय तथा की गई कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार ,पटना को अवगत कराया जाय तबतक उक्त मद में व्यय राशि 23,600=00 को आपत्ती अर्न्तगत रखा जाता है।

(3) रूपये 120=00 यात्रा भत्ता विपत्रों में अनियमित भुगतान वसूली योग्य :–

यात्रा भत्ता कार्यालय प्रतियों की जाँच में पाया गया कि यात्रा भत्ता विपत्र में श्री बैधानाथ प्रसाद गुप्ता, लेखापाल,कोषगार,छपरा को विपत्र संख्या 79/03–04 द्वारा यात्रा भत्ता के रूप में रू0 1332=00 का भुगतान किया गया था। कार्यालय प्रति की जाँच में पाया गया कि यह यात्रा भत्ता विपत्र माह अप्रैल 03 में जुलाई 03 तक का था। श्री गुप्ता का मूल वेतन (अपुनरीक्षित) रू0 2690=00 था। उनके द्वारा अप्रैल 03 से जुलाई 03 में कुल छः दिवसों को महालेखाकार कार्यालय पटना की यात्रा की गई। पटना आने–जाने के क्रम में लिया गया दैनिक भत्ता के रूप में रू0 130=00 लिया गया जो कि उनके मूल वेतन पर अनुमान्य नही था। उनके मूल वेतन पर दैनिक भत्ता रू0 110=00 ही मान्य होगा। इस प्रकार उनके यात्रा भत्ता विपत्र में कुल छः दिवस पर ली गई अधिक दैनिक भत्ता रू0 (130.00–110.00) = 20X6= 120.00 वसूली योग्य है।

अतः अधिक ली गई दैनिक भत्ता की राशि रू0 120.00 की वसूली दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति से की जाय तथा वसूली गयी राशि को संबधित शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमा कराया जाय और इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी दिया जाय। जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	दिनांक	भुगतान किया गया दैनिक भत्ता	अनुमान्य दैनिक भत्ता	व्सूली योग्य राशि
1	24.4.03	130.00	110.00	20.00
2	29.4.03	130.00	110.00	20.00
3	8.5.03	130.00	110.00	20.00
4	17.5.03	130.00	110.00	20.00
5	7.7.03	130.00	110.00	20.00
6	10.7.03	130.00	110.00	20.00

योग– 120.00

(4) रूपये 51,56,763=50 के विभिन्न प्रकार के स्टाम्प और टिकट लम्बे अर्सो से लम्बित रखने के सम्बन्ध में :–

अंकेक्षण के जाँच क्रम में पाया गया कि इस कोषागार के स्ट्रांग रूम के डबल लॉक पंजी में वर्ष 60–61 से ही विभिन्न प्रकार के स्टाम्प और टिकट जैसे बोर्ड कस्ट प्रोक्यूरेन स्टाम्प, एयर मेल इनभेलेप, नेशनल सेविंग स्टाम्प, मनोंरजन टैक्स टिकट, पीलीडर ओरिजनल स्टाम्प, पीलीडर रिनिवल स्टाम्प, मुख्तार ओरिजनल, मुख्तार रिनिवल स्टाम्प ,राजस्व ऐंजेट स्टाम्प एवं हुंडी के रूप में कुल रूपये 51,56,763=50 का लम्बित पड़ा हुआ था। इस राजस्व का टिकट और स्टाम्प के लम्बित रहने के सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का कोषागार द्वरा अनुपालन नही किया गया।

इस प्रकार विभिन्न प्रकार के टिकट एवं स्टाम्प के कुल रूपये 51,56,763=50 वर्ष 60–61 से लेकर अद्यतन तक लम्बित रखकर वित्तीय राजास्व को आगे की प्रक्रिया में रोक लगायी गयी । अगर आवश्यकता नही थी तो अबिलम्ब उपसर्माहता, नासिक प्रेस महाराष्ट्र या उप निबंधन महानिरीक्षक बिहार पटना को वापस किया जाय ताकि उपर्युक्त सामानों का उपयोग हो सके। उपरोक्त विभिन्न प्रकार के स्टाम्प और टिकट वापसी के पश्चात् इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को दी जाय। जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	स्टाम्प या टिकट	लंबित राशि
1	वोर्ड कस्ट प्रोक्यूरेन लाइसेंस स्टाम्प	99,822=00
2	एयर मेल इनभेलेप	16,625=00
3	नेशनल सेंविग स्टाम्प	52,954=00
4	मनोरजन टैक्स टिकट	49,83,452=00
5	पिलीडर ओरिजनल स्टाम्प	1395=00
6	पिलीडर रिनिवल स्टाम्प	995=00
7	मुख्तार ओरिजनल स्टाम्प	130=00
8	मुख्तार रिनिवल स्टाम्प	245=00
9	राजस्व ऐजेट स्टाम्प	365=00
10	हुंडी स्टाम्प	780=50

योग – 51,56,763=50

(5) रूपये 20,65,52,850=00 के नन जूड़ीशल स्टाम्प लम्बित रखने के सम्बन्ध में :–

अंकेक्षण क्रम में वर्ष 03–04 से 06–07 तक नन जूडीशल स्टाम्प के स्टॉक और व्यय के जाँच एवं मिलान क्रम में पाया गया कि वर्ष के अंत में अवशेष निम्नवत पाया गया :–

31.3.03 – 24,01,00,373=00

31.3.04 – 24,58,67,045=00

31.3.05 – 20,07,96,330=00

31.3.05 – 15,45,35,727=00

31.3.07 – 14,16,75,802=00

26.8.08 – 20,65,52,850=00

भौतिक सत्यापन दिनांक 26.8.08 को नन जूडीशल स्टाम्प के रूप में डबल लॉक पंजी के अनुसार स्ट्रांग रूम में रू0 206552850=00 का स्टाम्प अनावश्यक रूप से लांबित रखा पाया गया। इतनी बड़ी राशि का नन जूडीशल स्टाम्प रखने की औचित्यता को स्पष्ट नही किया गया। उपरोक्त वर्ष की विवरणी देखने से स्पष्ट होगा कि इतनी भारी राशि के रूप में नन जूडीशल स्टाम्प की आवश्यकता इस कोषागार को नही थी। इससे सम्बन्धित पदाधिकारी को स्टाम्प की आवश्यकता को देखते हुए नन जूडीशल स्टाम्प रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक स्टाम्प को उप सर्माहत,नासिक प्रेस, महाराष्ट्र या उप निबंधन ,महानिरीक्षक, बिहार ,पटना को वापस कर देना चाहिए जिससे वित्तीय राजस्व की अवरोधता समाप्त हो सके एवं इसका उपयोग अन्यत्र किया जा सके।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि आवश्यकता में अधिक स्टाम्प को वापस किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को दिया जाय।

(6) रूपये 1,26,23,615=00 कोर्ट–फ्री (जूडिशल) स्टाम्प लम्बित रखने के सम्बन्ध में :–

अंकेक्षण क्रम में वर्ष 03–04 से 06–07 तक में विभिन्न वित्तीय वर्षो के अन्त में कोर्ट –फ्री (जूडिशल) स्टाम्प अवशेष के रूप में निम्नवत पाया गया :–

31.3.03 – 1,10,98,290=00

31.3.04 – 2,01,56,360=00

31.3.05 – 1,76,69,650=00

31.3.06 – 1,38,63,270=00

31.3.07 — 77,62,320=00

26.8.08 — 1,26,23,615=00

भौतिक सत्यापन दिनांक 26.8.08 को कोर्ट फ्री (जूडीशल स्टाम्प) के रूप में रू0 1,26,23,615=00 का स्टाम्प स्ट्रांग रूम में लम्बित रखना वित्तीय राजस्व के रास्ते में अवरोध खड़ा करने के सामान है उपरोक्त वित्तीय वर्ष के अंत के विवरणी देखने से ज्ञात होगा कि इस कोषागार के स्ट्रांग रूम में लम्बी अवधि से कोर्ट –फ्री के रूप में जूडिशल स्टाम्प रखा गया था। वित्तीय वर्ष में चालान के अनुसार माँग को देखते हुए ही कोर्ट –फ्री स्टाम्प को स्ट्रांग रूम में रखा जाय और स्टाम्प को उप निबंधन, महानिरीक्षक,बिहार पटना या उप सर्माहता, नासिक प्रेस ,नासिक रोड, महाराष्ट्र को वापस किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को दिया जाय।

(7) रूपये 10,21,067=00 बकाया वेतन मद का भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2054(कोषागार स्थापना) के वेतन भुगतान पंजी और रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया कि विभिन्न सहायकों को विभिन्न तिथियों को विभिन्न विपत्रों के द्वारा बकाया राशि में रू0 1021067=00 का भुगतान किया गया था।

उक्त व्यय से सम्बन्धित आदेश,संचिका और बकाया वेतन की विवरणी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नही कराया गया। जिसके कारण उक्त कुल रू0 1021067=00 के व्यय की जाँच नही की जा सकी। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का भी अनुपालन नही किया गया।

अतः भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों को जाँच हेतु विभागीय स्तर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच कर ली जाय तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाय तथा वित्त अंकेक्षण विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय तबतक के लिए कुल रूपये 1021067=00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' पर द्रष्ट्रव्य है।

(8) रूपये 4,05,684=00 राजपत्रित पदाधिकारी के वेतन एवं यात्रा भत्ता मद में व्यय की गई राशि का अभिलेख अप्रस्तुत आपत्तिअन्तर्गत :–

रोकड़ पुस्त एवं विपत्र पुस्त की जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 05–06 एवं 06–07 में कुल रूपये 4,05,684=00 की निकासी विपत्र पुस्त के माध्यम से राजपत्रित पदाधिकारी के वेतन एवं यात्रा भत्ता भुगतान के रूप में की गई थी। जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' द्रष्ट्रव्य है।

अतः उक्त व्यय से सम्बन्धित वेतन भुगतान पंजी एवं यात्रा –भत्ता भुगतान पंजी और यात्रा–भत्ता की कार्यालय प्रतियाँ अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही किया गया।

अतः राजपत्रित पदाधिकारी के वेतन, यात्र –भत्ता भुगतान पंजी यात्रा–भत्ता की कार्यालय प्रतियाँ विभागीय स्तर पर उच्च पदाधिकारियों द्वारा जाँच कर ली जाय अगर अनियमित्तता पायी जाई तो की गई कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय। तबतक रू0 4,05,684=00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(9) रूपये 1,62,363=00 क्रीत कम्प्यूटर सामाग्री का भंडार और वितरण पंजी अप्रस्तुत आपत्तिअन्तर्गत :–

अंकेक्षण क्रम में वर्ष 03–04 से 06–07 तक के आकसिमकता से सम्बन्धित कम्प्यूटर सामाग्री अभिश्रवों की जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों के द्वारा विभिन्न अभिश्रवों के द्वारा उक्त अवधि में कुल रूपये 1,62,363=00 के कम्प्यूटर सामाग्री की खरीद की गई थी। जिसका विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''छ'' पर द्रष्ट्रव्य है।

उक्त राशि 1,62,363=00 के भुगतान के जाँच हेतु भंडार पंजी और वितरण पंजी का माँग किया गया और आपत्ति भी निर्गत किया गया था जिसका अनुपालन कार्यालय द्वारा नही किया गया। इस प्रकार उपरोक्त राशि से सम्बन्धित केवल अभिश्रव ही प्रस्तुत किया गया,जिसमें व्यय की गई राशि की औचित्य की जाँच स्टॉक पंजी और वितरण पंजी के अभाव में नही किया जा सका।

अतः उपरोक्त राशि रूपये 1,62,363=00 से सम्बन्धित भंडार पंजी वितरण पंजी और आदेश की जाँच विभागीय स्तर पर कर ली जाय, अनियमितता पाये जाने पर की गई कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाय। तबतक रूपये 1,62,363=00 की व्यय राशि को आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है।

(10) रूपये 1,36,668=00 क्रीत डीजल एवं इंजन वायल के व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

आकस्मिकता से सम्बन्धित वर्ष 03–04 से 06–07 के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न संस्थानों से विभिन्न अभिश्रवों के द्वारा रू0 1,36,668=00 का जेनरेटर हेतु डीजल और इंजन वायल की क्रय किया गया जिसके खपत/व्यय की जाँच हेतु जनरेटर

की लौग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का भी अनुपालन भी नही किया गया।

अतः रूपये 1,36,668=00 से सम्बन्धित अभिलेख एवं जेनरेटर का लौग बुक की जाँच विभागीय स्तर पर कर ली जाय अन्यथा की स्थिति में की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय तबतक रूपये 1,36,668=00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ज'' पर द्रष्ट्रव्य है।

(11) रूपये 11713=00 के आकस्मिकता से सम्बन्धित कागज,रजिस्ट्रर और अन्य सामाग्री का भंडार और वितरण पंजी का प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 03–04 से 06–07 के आकस्मिक अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय व्यय हेतु क्रय किये गये स्टेशनरी में कागज,राजिस्ट्रर,कार्बन और कलम से सम्बन्धित भंडार पुस्त नही किया गया। जिसमें कुल रूपये 11713=00 की व्यय की औचित्य की जाँच नही की जा सकी। जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन की परिशिष्ट ''झ'' द्रष्ट्रव्य है।

अतः उपरोक्त राशि में सम्बन्धित भंडार पंजी वितरण पंजी एवं आदेश को विभागीय स्तर पर जाँच कर ली जाय एवं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाय। तबतक रूपये 11713=00 की व्यय राशि को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(12) रूपये 43,169=00 का यात्रा भत्ता का भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2054 (कोषागार स्थापना) रोकड़ पुस्त में वर्ष 04–05 से 06–07 तक में अंकित भुगतानों की जाँच में पाया गया कि यात्रा भत्ता मद में कुल रूपये 43,169=00 का भुगतान विभिन्न विपत्रों से विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न तिथियों को किया गया था। जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ट'' द्रष्ट्रव्य है।

उपर्युक्त भुगतान से सम्बन्धित यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नही करने के कारण भुगतान की गई राशि की जाँच नही की जा सकी।

अतः वांक्षित अभिलेखों को विभागीय स्तर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच कर ली जाय अन्यया की स्थिति में की गई कर्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को

अवगत कराया जाय। तत्काल यात्रा भत्ता मद में उक्त कुल रूपये 43,169=00 के भुगतान को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(13) रूपये 22,450=00 के सर्विस स्टाम्प का भंडार और विवरण पुस्त अप्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत :–

अंकेक्षण क्रम में वर्ष 03–04 से 06–07 की आकस्मिकता की जाँच में पाया गया कि विभिन्न अभिश्रवों द्वारा विभिन्न वर्षो में कुल रूपये 22450=00 के सर्विस स्टाम्प की खरीद की गई थी। उक्त खरीद से प्राप्त की गई सर्विस स्टाम्प का भंडार पुस्त और वितरण पंजी को अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे क्रय किया गया सर्विस स्टाम्प का कुल रूपये 22450=00 की औचित्य की जाँच नही की जा सकी।

अतः उक्त क्रयसे सम्बन्धित भंडार पंजी और वितरण पंजी की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कराकर वस्तु स्थिति की जानकारी वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय। तबतक के लिए कुल रूपये 22450=00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	अभिश्रव सं0 /वर्ष	राशि
1	1/03–04	5000=00
2	93/03–04	2000=00
3	24/04–05	5000=00
4	69/04–05	2450=00
5	38/05–06	3000=00
6	66/06–07	5000=00
		योग– 22450=00

(14) पेंशन अभिलेखों के सम्बन्ध में सामान्य अभियुक्तियाँ :–

पेंशन अभिलेख वर्ष 03–04 से 06–07 के जाँच क्रम में पाया गया कि बिहार कोषागार कोड खंड –1 के नियम 334 एवं 389 के नियम का पालन नही किया गया। उक्त नियम के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन पेपर पूर्ण होने के पश्चात ही पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए जो निम्नलिखित है।

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष का पी0 पी0 ओ0 और टी0 एस0 पंजी होना चाहिए।
2. पेंशन धारियों के लेजर पंजी में Specimen हस्ताक्षर नही पाया गया।
3. पेंशन लेजर में पुनः विवाह के सम्बन्ध में विधवा से प्रमाण–पत्र नही लिया गया था।
4. पेंशन धारियों को पुनः नियुक्ति की घोषण नही ली गई थी।
5. पी0 पी0 ओ0 पंजी में पेशन धारियों का फोटो नही चिपका पाया गया।

6. पेंशन धारियों से सम्बन्धित शारीरिक मार्क चिन्हित नही किया गया था।
7. पेंशन धारियों का छः महीना में जीवन –मृत्यु प्रमाण–पत्र नही पाया गया।
8. मृत्यु से सम्बन्धित पेंशन धारियो की कोई पंजी उपलब्ध नही था।
9. एम0 एल0 ए0 और एम0 एल0 सी0 के अन्तर्गत पेंशन धारियों का घोषण पत्र भुगतान सम्बन्धित नही लिया गया।

उपरोक्त अभिलेखों के पूर्ण होने के पश्चात ही आगे पेंशन की राशि पेंशन धारियों को दिया जाय। उपरोक्त पहलुओं की कार्रवाई हेतु कोषागार पदाधिकारी से आशा की अपेक्षा की जाती है।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1)

(2)

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की विवरणी :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका 1"झ" से सम्बन्धित :–

प्रस्तुत अभिलेखों का विवरणी :–

1. रोकड़ पुस्त
2. विपत्र पुस्त
3. वेतन भुगतान पंजी
4. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
5. आकस्मिकता पंजी
6. अभिश्रव का गार्ड फाइल
7. स्टाप का डबल लॉक पंजी

(i) बोर्ड काट प्रोक्यूरेन लाइसेस स्टाप का डबल लॉक (Broad cost brocurion licence)

(ii)एयर मेल इनभेलेप (Air Mail Invelape) डबल लॉक पंजी

(iii) नेसनल सेविंग स्टाप (Nationed Saving stamp) डबल लॉक पंजी

(iv) मनोरंजन टैक्स टिकट (Enterfaiment Tax Stemp) डबल लॉक पंजी

(v) इलीडर ओरिजनल स्टाप (Pleades original stemp) डबल लॉक पंजी

(vi) प्लीडर रिनिवल स्टाप (Pleader renewell stemp) डबल लॉक पंजी

(vii) मुख्तार ओरिजनल स्टाप डबल लॉक पंजी

(viii) मुख्तार रिजिवल स्टाप डबल लॉक पंजी

(ix) राजस्व ऐजेंट स्टाप डबल लॉक पंजी

(x) हुंडी स्टाम्प डबल लॉक पंजी

(xi) स्पेशल ऐडेसिभ (Special Adhesive) स्टाम्प का डबल लॉक पंजी

(xii) पब्लिक पोस्टेज स्टाम्प (Publice Postage stamp) डबल लॉक पंजी

(xiii) नन जूडीशियल स्टाम्प (Non judicial stamp) डबल लॉक पंजी

(xiv) कोंट फ्री स्टाम्प डबल लॉक पंजी

(xv) नटोरी मेटेरियल स्टाम्प का डबल लॉक पंजी

(xvi) एडंमोकेट वेलफेयर स्टाम्प का डबल लॉक पंजी

(xvii) कॉपी स्टाम्प का डबल लॉक पंजी

8. P.P.O और T.S पंजी
9. यात्रा भत्ता की कार्यालय प्रतियाँ
10. स्टाम्प प्रति का रसीद का गार्ड फाइल